



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रेस्टोरेशन 8505-एक/16 जिला -सिवनी 221 8505-I-16

जिवेन्द्रनाथ आत्मज प्रभूनाथ मिश्रा

निवासी सीलादेही तहसील व जिला सिवनी

वर्तमान निवासी वार्ड सिवनी

जिला सिवनी म0प्र0

----- आवेदक

विरुद्ध

दसरू आत्मज दरसिंह गौंड आदि

----- अनावेदक

आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959

मान्यवर,

आवेदक की ओर से विनय है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-8-14 के विरुद्ध इस माननीय न्यायालय में निगरानी क्रमांक 3974-एक/14 पेश की गई है। उक्त प्रकरण में पैरवी हेतु आवेदक द्वारा श्री एस.के.सोनी अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है।

- 2/ यहकि, आवेदक को ज्ञात हुआ है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रकरण को माननीय द्वारा रुचि के अभाव में दिनांक 26-10-16 को समाप्त कर दिया गया है।
- 3/ यहकि, आवेदक को आज दिनांक तक पेशी का कोई सूचनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही उक्त प्रकरण में

P. S.

6000
26.11.16

श्री धर्मेश चक्रवर्ती
द्वारा दिनांक 26.11.16
को प्रस्तुत
किए

Dehat
26/11/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 8505/एक/2016

जिला-सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05.12.2016	<p>आवेदकपक्ष के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा रेस्टोरेशन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है उनके तर्क में बताया गया कि राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 3974/एक/2014 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 को अदम पेरवी में खारिज कर दिया गया है। जो सद्भाविक नहीं है।</p> <p>2- आवेदक अभिभाषक का निवेदन स्वीकार करते हुये प्रकरण क्रमांक 3974/एक/2014 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है। कि आवेदक 500 रुपये की कोस्ट न्यायालय में जमा कराये। इसी निर्देश के साथ रेस्टोरेशन आवेदन पत्र स्वीकार कर निराकृत किया जाता है।</p>	

SP


सदस्य